UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

CENTRAL REGIONAL OFFICE, BHOPAL – 462016

PROFORMA FOR SUBMISSION OF INFORMATION AT THE TIME OF SENDING THE FINAL REPORT OF THE WORK DONE ON THE PROJECT

1	Name and Address of Principal Investigator	-	Dr. Subodh Kumar Dwivedi MIG-I, 900, Hudco, Bhilai (C.G.)
2	Name and Address of the Institution	-	Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai
3	UGC approval No. and Date	-	F.No:MH-161/202081/XII/14-15/CRO Dated 26/05/2015
4	Date of Implementation	-	20 June -2015
5	Tenture of the project	-	2 Years (2015-16, 2016-17)
6	Total Grant allocated	-	Rs.3,00,000.00
7	Total Grant Received	-	Rs.1,95,000.00
8	Final Expenditure	-	Rs.3,12,998.50
9	Title of the project	-	Scheduled Tribe Women's Economic Empowerment : with reference to Bastar District of Chhattisgarh

10. Objectives of the project

1. अनुसूचित जनजाति की संख्या आज भी राष्ट्रीय मुख्यधारा से काफी पीछे है
2. निम्न साक्षरता दर तथा शैक्षणिक स्तर आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है
3. छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष केंद्रीय सहायता बिना किसी ठोस परिणाम को हासिल नहीं कर पाया
4. विशेष आर्थिक प्राधिकरण बस्तर तथा दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण वर्ष 2004 से कार्यरत है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं
5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निम्नलिखित कार्य असफल पाए गए–
   (i) अच्छे परिणाम–Better Results
   (ii) निम्न सामाजिक परिवर्तन–Poor Social Change
   (iii) पक्के इरादों की कमी–Firm Commitment is lagging behind
   (iv) समयबद्ध कार्यक्रम की उपेक्षा–Temporal Dimesion has been neglected

11. Achievements of the project

1. वर्तमान परिदृश्य में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण की दशा और दिशा का वास्तविक मूल्यांकन शनैः शनैः प्राप्त प्राप्त कर रहा है।
2. अनुसूचित जनजाति परिवारों के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण को बल देने हेतु शिक्षा के स्तर में परिवर्तन लाया जा रहा है।
3. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की जीवंत बाल विकास केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या (वर्ष–2015) 20289 से बढ़कर 23474 हो गई है।
4. नाबार्ड (NABARD) द्वारा बस्तर जिले में लघु सिंचाई के लिए वर्ष 2012–13 की बजट में प्रावधानित राशि रू.464.32 लाख की अपेक्षा वर्ष 2015–16 में रू.1547.19 लाख लक्ष्यित की गई।
5. बस्तर जिले में सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं की जो (i) पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है, (ii) महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से Take Hare Ration पद्धति से भोजन दिया जा रहा है तथा (iii) प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिन 165 ग्राम तैयार भोजन दिया जा रहा है।
6. सर्वेक्षित जनपद पंचायतों में कुपोषित बालिकाओं, शिशुवती माताओं एवं गर्भवती महिलाओं को विटामिन की गोलियों के वितरण कार्यक्रम में गति लाने का प्रयास किया जा रहा है।
7. सर्वेक्षित जनपद पंचायतों के आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
8. बस्तर जिले में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने हेतु महिला स्व सहायता समिति के माध्यम से

प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु बैंकिंग एवं वित्तीय साक्षरता अभियान का प्रचार एवं प्रशिक्षण कार्य गति पर है।

9. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु प्रत्येक परिवार की महिला वयस्क को परिवार का मुखिया माना गया है।
10. अध्ययनगत चार जनपद पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के अलावा अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मजदूरों का रोजगार हेतु पंजीयन किया गया। मनरेगा में कार्यरत् गर्भवती महिला श्रमिक को मजदूरी के साथ–साथ एक माह का अवकाश भी दिया जाता है।
11. गरीब आदिवासी महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, डबल बर्नर चूल्हा और पहला सिलेंडर निःशुल्क दिया जा रहा है।

12. Summary of the Finding

भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक परिस्थितियां काफी चिंतनीय तथा निचले स्तर पर है। सशक्तिकरण में आर्थिक क्रियाएं, शिक्षा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश मुख्य कारक हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण राष्ट्र के लिए नियोजित आर्थिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। विकास की यह प्रक्रिया आदिवासियों के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। बल्कि आदिवासी समाज पर इस विकास का प्रभाव भिन्न–भिन्न रहा है।

केन्द्र सरकार ने देश में आदिवासियों के समग्र विकास के लिए वर्ष 1999 में 'जनजातीय कार्य मंत्रालय' का गठन किया गया। 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' को विभाजित कर 'जनजातीय कार्य मंत्रालय' का निर्माण किया जो एक समन्वित और व्यवस्थित ढंग से अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देते हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्थक प्रयास करें।

1 नवंबर 2000 को म.प्र. राज्य में छत्तीसगढ़ को अलग कर नये 'छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। नए राज्य की आवधारणा के अनुरूप आदिवासियों के समुचित विकास हेतु राज्य शासन के वर्ष 2004 में "बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" का गठन किया।

विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बस्तर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन तथा जिले के आदिवासियों के जीवन स्तर में आये बदलाव एवं समस्याओं का तथ्यों के आधार पर अध्ययन हेतु विषय का चयन किया गया।

शोध अध्ययन के लिए बस्तर जिले के चार विकासखंडों का चयन किया गया। जो क्रमशः 1. बस्तर, 2. बकावंड, 3. बास्तानार तथा 4. दरभा है।

देश की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। बस्तर जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या भी बढ़ रही है। इस समुदाय के लिए विकास हेतु उपलब्ध

धनराशि योजनाओं को सीमित करती है। जिसके फलस्वरूप कार्यशील जनसंख्या, कृषक तथा पारंपरिक उद्योगों में शामिल जनशक्ति अपने लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवसरों की खोज में रहते हैं।

आजादी के बाद 26 जनवरी, 1950 को भारत एक गणतंत्र देश घोषित किया गया। भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान करने और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करने के उद्देश्य से उनकी आवश्यक सुरक्षा तथा संरक्षण (Protection) प्रदान करने के उपाय किये गये। इसके लिए या तो कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई या फिर नागरिक के रूप में उनके सामान्य अधिकारों पर जोर दिया गया।

आज भी देश तथा राज्यों में जनजातियों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति हाशिये पर है। निःसंदेह शासन की कल्याणकारी योजनाओं को लाभान्वित वर्ग तक पहुंचाने में शासन की कुछ कठिनाइयां है। बावजूद इसके जनजाति समुदायों को आरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से विकास तथा सशक्तिकरण की चुनौतियों को सीमित करने का प्रयास जारी है।

देश के लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्रफल में जनजातीय समुदायों का वास है जो मैदानी से लेकर वनों और पर्वतीय क्षेत्र से लेकर दुर्गम इलाकों में कठिन परिस्थितियों और भू–जलवायु स्थितियों में रहते हैं।

जनजाति समुदायों की आर्थिक–सामाजिक दिशा में काफी प्रगति की गई है। इनमें दशकीय साक्षरता में धीरे–धीरे तेजी आ रही है जो वर्ष 1961 में 8.53 प्रतिशत से 2011 की स्थिति में 59 प्रतिशत हो गई है।

बस्तर जिला जगदलपुर, बस्तर, वास्तानार, बकावंड, लोहंडीगुड़ा, तोकापाल तथा दरभा विकासखंड में विभक्त है।

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6418.05 वर्ग कि.मी. है। जिले में वन क्षेत्रफल 2211. 80 कि.मी. (34.46 प्रतिशत) है। कुल वन क्षेत्रफल का 49.01 प्रतिशत भाग (2211.80 कि.मी.) है।

बस्तर जिला लगभग 50 प्रतिशत वनाच्छादित है। सबसे कम बास्तानार में केवल 42 आबाद ग्राम तथा सर्वाधिक आबाद ग्राम 110 बस्तर जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं।

वनों की अधिकता के कारण सबसे अधिक 11 ग्राम वन ग्रामों की श्रेणी में आते हैं। चारों जनपद पंचायत के कुल 16 ग्राम वीरान ग्राम है। आबादी कम होने के कारण तथा वन, झरना, पहाड़ आदि के कारण जनसंख्या की बसाहट प्रभावित होती है।

जिलों में जनजातियों की श्रेणी में गोंड, मारिया, ध्रुव, हलबा आदि प्रमुख जनजातियां है।

वर्तमान में योजनाओं के परिणाम स्वरूप आदिवासी महिलाओं/परिवारों द्वारा कृषि हेतु उन्नत खाद, बीज, सिंचाई, आधुनिक कृषि उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है और जीवन स्तर बढ़ा है। आधुनिक संचार के साधनों एवं यातायात के साधनों के विकास के कारण यह समाज आधुनिक समाज के संपर्क में आ रहा है जिसके कारण इस समाज की कुरीतियां समाप्त हो रही है।

मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच एवं विकासखंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पंचायत सचिव तथा सरपंच को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। जिससे 100 दिन के रोजगार की गारंटी पक्की मानी जा सके।

प्रस्तुत शोध प्रबंध के मूल्यांकन के निष्कर्ष के अनुसार बस्तर जिले में आदिवासियों का आर्थिक तथा सामाजिक शोषण जारी है। गरीबी दूर करने के दावों को शासकीय आंकड़े झुठला रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि बस्तर जिले की आदिवासी महिलाएं आज भी सशक्तिकरण के संदर्भ में विकास की मुख्यधारा से अलग–थलग है तथा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

लघु शोध परियोजना के प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं–

1. योजनाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
2. योजना को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) लागू किया जाय।
3. योजनाओं की समय–समय पर मानिटरिंग आवश्यक है।
4. योजनाओं को एक निश्चित अवधि में पूरा किये जाने की आवश्यकता है।
5. संविदा तथा आउटसोर्सिंग पद्धति से आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरण हासिल नहीं किया जा सकता।
6. योजनाओं की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई है कि कई योजनाएं ओव्हर लोडिंग बन गई हैं।
7. प्रचार–प्रसार प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुंचाना होगा।
8. योजना आम जन के लिए है, उन्हें अपने अधिकार के साथ योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आना होगा।
9. आदिवासी समुदाय की जनसंख्या अंधविश्वासी, धर्मभीरू, समाज की मुख्य धारा से काफी पीछे, सीधे–सादे, सरल लोगों को 21वीं शताब्दी में अपने आपको ढालने के लिए जागरूक करना होगा। "Prevention is better than cure." ″परहेज से उपचार अच्छा होता है।″

13. Contribution to the Society

1. आदिवासी महिलाओं को आर्थिक आय हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने एवं उन्नयन कार्यक्रमों से आदिवासी महिलाओं को जोड़कर उनके आय में वृद्धि हुई है।
2. कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, फलोद्यान इत्यादि उत्पादन कार्यक्रमों को महिला समूहों द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

3. आर्थिक विकास में महिलाओं को श्रम शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अनेक आर्थिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात किया गया है।
4. महात्मा गांधी (MNREGA) योजना से आदिवासी महिलाओं एवं उनके परिवारों की आय में वृद्धि होने से जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।
5. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना प्रदेश में लागू होने से आदिवासी महिलाओं को भोजन तक्यार करने में धुंए से राहत प्राप्त हुई। इस योजना के सकारात्मक स्वास्थ्यगत परिणाम भविष्य में दर्शित होंगे।
6. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत महिला मुखिया के नाम पर राशन कार्ड प्रदान करने से जीवन खुशहाल हुआ है।
7. 'सबका साथ – सबका विकास' नारे से अभिभूत आर्थिक–सामाजिक कार्यों के लागू होने से आदिवासी महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ी है।
8. बस्तर जिले में रेशम विभाग की योजना के माध्यम से स्थानीय अनुसूचित जनजाति महिलाओं को स्व–रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
9. शासन की विकासमूलक नीतियों तथा महिला समूहों के मजबूत प्रयासों से अनुसूचित जनजाति महिलाओं को स्व–रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
10. यह लघुशोध परियोजना अनुसूचित जनजात की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होगी।
11. पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा, बायोगैस तथा धुंआहीन चुल्हों आदि का उपयोग कर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का योगदान बढ़ाया जा रहा है।

14. Whether any Ph. D Enrolled /Produced out of the Project : No

15. No. of Publication out of the Project : 02

SIGNATURE
OF PRINCIPAL INVESTIGATOR
(Dr. Subodh Kumar Dwivedi)
Commerce

PRINCIPAL
PRINCIPAL
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, BHILAI (C.G.)

U.G.C. CELL INCHARGE
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, BHILAI (C.G.)

MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

Vidyawarta®

International Multilingual Research Journal

Apr. To June 2017
Issue-18, Vol-04

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ **विद्यावार्ता** या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. **न्यायक्षेत्र:बीड**

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat**.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

http://www.vidyawarta.blogspot.com | https://sites.google.com/site/vidyawartajournal

27) विमुद्रिकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
प्रा. डॉ. ए. जी. सोनवणे , जि. धुळे || 101

28) नंदुरबार जिल्ह्यातील शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत नेतृत्वाची भूमिका
प्रा. डॉ. सुनंदा वामनराव ठाकरे, प्रा. रामसिंग राज्या वसावे, जि. धुळे || 105

29) पंचायत राजचे ग्रामीण विकासातील योगदान
प्रा. डॉ. श्याम रा. दुर्तोडे, जि. बुलडाणा. || 108

30) साहित्य आणि संस्कृती
प्रा. डॉ. गिते लक्ष्मण बलभीम, जि.बीड. || 110

31) हमीद दलवाई - एक प्रेरणादायी व्यक्तीमत्व
डॉ. सौदागर फैय्याज मुधीरसाब, धांदेड. || 112

32) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा समाजवादी विचार
युवराज नवनाथ वाघमारे, औरंगाबाद || 116

33) विदर्भातील किल्ल्यांची ऐतिहासकिता
प्रा. आर. पी. झनके, साखरखेर्डा || 118

34) कम्प्यूटर शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन
अनुज कुमार, राजस्थान || 121

35) आदिवासी परिदृश्य में आर्थिक—सामाजिक सशक्तिकरण की कमजोर दस्तक
डॉ. सुबोध कुमार द्विवेदी, भिलाई || 123

36) मोहनदास कहानी में चित्रित सामाजिक अव्यवस्था
डॉ. शिवकुमार सी. एस. हडपद, मैसूर (कर्नाटक) || 127

37) शिक्षक—प्रशिक्षकों की भूमिका एवं चुनौतियाँ के संदर्भ में : अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय ....
हैप्पी कुमारी, दिल्ली || 131

38) हिन्दी साहित्य को स्त्री उपन्यासकारों की देन
डी. हेमलता, तेलंगाना || 137

39) कृष्ण—प्रेम रंग रांची मीरा की दीवानगी पर एक दृष्टि
डॉ. चन्द्रकुमार जैन, राजनांदगांव || 139

35

आदिवासी परिदृश्य में आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरण की कमजोर दस्तक

डॉ. सुबोध कुमार द्विवेदी,
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य,
श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई, छ.ग.

****

भूमिका

भारतीय परिप्रेक्ष्य में आजादी के लगभग ७० वर्ष व्यतीत होने के बाद भी देश की १० करोड़ से अधिक आदिवासियों की आर्थिक–सामाजिक पहचान केवल आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था से ज्ञात होती है।

संविधान के अनुच्छेद ३६६ (२५) में यह परिभाषित किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों का अर्थ उन जनजातियों अथवा ऐसी जनजातियों के बीच जनजातीय समुदायों अथवा समूहों और उनके साथ में है।

अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत सामान्यतः वनों और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी व अन्य जनजातीय समूह आते हैं। अनुसूचित जनजातियां ऐतिहासिक रूप से भौतिक अथवा भौगोलिक रूप से बहिष्कृत रही है।

देश में लगभग ७०० ऐसी जनजाति समुदायों को भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजातियों के बीच अत्यधिक पिछड़ों को विशेष रूप से कमजोर समूह (Primitive Tribal Groups – PTGS) माना गया है जिसमें ७५ अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के रूप में पहचान किये गये हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में भी कमार, बैगा, अबूझमाड़िया, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा आदिम जनजाति समूह को स्वीकृत किया गया है। बिरहोर आदिम जनजाति को छोड़कर शेष चारों विशेष पिछड़ी आदिम जनजातियों की आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरण की स्थिति शत्–प्रतिशत गरीबी जनसंख्या के रूप में अस्तित्व बनाये रखे हैं।

आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विधानसभाओं, लोकसभा में आरक्षण के माध्यम से प्रवेश की सुविधा के बावजूद इस समाज की जनसंख्या, गरीबी, शोषण, सामाजिक दबाव, विशेषकर वामपंथी विचारधारा से पोषित नक्सल गतिविध्यिां इनको राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग–थलग करता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन

राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के आर्थिक–सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने में विफलता प्राप्त करने की स्थिति में केन्द्र शासन ने दो महत्वपूर्ण आर्थिक–सामाजिक सुधार या नीतियों को लागू करने का फैसला किया जिसमें प्रथम– जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन और दूसरा– राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का गठन।

१. जनजातीय कार्य मंत्रालय का सृजन अक्टूबर, १९९९ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को विभाजिक करके एक समन्वित और आयोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत अलाभान्वित वर्ग अथवा अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास पर अधिक केंद्रित ध्यान देने के उद्देश्य से किया गया।

ज्ञातव्य है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अस्तित्व में आने से पूर्व जनजातीय कल्याण और विकास से संबंधित मामलों पर कार्यवाही भारत सरकार के स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अलग–अलग समय पर की जाती थी जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है–

(i) गृह मंत्रालय के विभाग के रूप में स्वतंत्रता के बाद से (1947 onward) सितम्बर, १९८५ तक आदिवासी विकास विभाग के नाम से जाना जाता था।

(ii) कल्याण मंत्रालय सितंबर १९८५ से मई १९९८ तक

(iii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मई १९९८ से सितम्बर,१९९९ तक

२. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Sched-

uled Castes and Scheduled Tribes) का गठन ८ जून, १९९० को किया गया जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र, भाग II खंड—१ में प्रकाशित किया गया। गठन की प्रक्रिया संविधान में ६५वें संशोधन द्वारा किया गया जिसे राजपत्र में जीम ब्वदेजपजनजपवद (Sixty-Fifth Amendment) Act, 1990, 7th June, १९९० दर्ज किया गया।

शोध तकनीक

१. उद्देश्य — प्रस्तुत शोध पत्र "छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले की जनजातीय महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण की दशा" पर आधारित है। शोध अध्ययन के उद्देश्य में विशेषकर दक्षिण क्षेत्र बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण जिसका गठन २००४ में किया गया है के कार्यों का बस्तर जिले की जनजाति जनसंख्या पर आर्थिक—सामाजिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है।

अध्ययन में शोध कार्य योजना के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य है—

(i) वर्ष २०११ जनगणना के अनुसार बस्तर जिले की स्त्री साक्षरता दर ४३.४९ प्रतिशत है।

(ii) बस्तर जिले की वर्ष २००० गरीबी के स्तर की जानकारी के अनुसार ५८.९ प्रतिशत जनजाति आबादी बी.पी.एल. श्रेणी में आती हैं।

(iii) दक्षिण क्षेत्र बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री है, जिले की जनजाति आबादी का समुचित विकास बेहद कमजोर है।

२. सर्वेक्षित परिवार — बस्तर जिले के बकावंड, बस्तर, बास्तानार तथा दरभा विकासखंड के आठ ग्रामों से २०० जनजाति महिलाओं का स्थल सर्वेक्षण हेतु चयन किया गया।

३. अध्ययन की सीमा — अध्ययन की सीमा चार विकासखंडों तक सीमित है।

४. उपकल्पना —

(i) आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महिला स्व—सहायता समूह का गठन नहीं के बराबर है, जिसके कारण महिला कोष का लाभ नहीं मिलता।

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम भारत सरकार की इस योजना में बस्तर जिले की जनजाति विशेषकर महिलाओं के स्वरोजगार हेतु भागीदारी सुनिश्चित नहीं है।

जनजातियों के विकास की योजना

बस्तर जिले में आदिवासी उपयोजना (Tribal Sub Plan) को संचालित करने के लिए "बस्तर आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति" क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, म.प्र. शासन द्वारा १९९३—९४ से बंद कर दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यो को राज्य शासन २३ विभागों द्वारा जिले के विकासखंड स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी उपयोजना लागू किया जाता था।

आदिवासी उपयोजना वर्ष १९७५ से देश के आदिवासी बहुल राज्यों में ७५: २५ अनुपात में लागू किया जा रहा है।

वर्तमान में आदिवासी उपयोजना राज्य के सभी ८५ विकासखंडों में लागू किया जाता है।

सर्वेक्षित बस्तर जिले के चार विकासखंडों का क्षेत्रफल, ग्राम पंचायत तथा जनसंख्या की जानकारी सारणी—१ में दी गई है।

सारणी—१

सर्वेक्षित विकासखंड की

जनसंख्या/क्षेत्रफल/ग्राम पंचायत २०११

क्र.	विकासखंड	क्षेत्रफल	जनसंख्या			ग्रामों की संख्या
			स्त्री	पुरूष	योग	
1.	बस्तर	899.26	82676	81321	163997	110
2.	बकावंड	668.02	75201	74622	149823	99
3.	बास्तानार	483.72	24933	23107	48040	42
4.	दरभा	532.19	40389	38971	79360	54
	जोड़	**2583.19**	**223199**	**218021**	**441220**	**305**

चारों विकासखंडों की कुल जनसंख्या ४,४१,२२० के विपरीत अनुसूचित जनजाति की संख्या ३,०२,६६० अर्थात ६९.२८ प्रतिशत दर्ज की गई।

बस्तर जिले में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष २०११—१२ में स्वीकृत कार्यो के प्रतिवेदन के अनुसार कुल ९९ कार्यो के लिए ४६३.६२ लाख रूपये स्वीकृत किये गये थे। उपलब्धि ७४.४२ लाख रूपये (१६.०७ प्रतिशत) व्यय किये गये।

शोध अध्ययन के लिए चुने गये बस्तर विकास खंड के लिए कुल २२ कार्य, बकावंड के लिए २२ कार्य, दरभा विकासखंड में ७ तथा बास्तानार विकासखंड के लिए कुल ४ कार्य स्वीकृत किये गये।

बस्तर जिले में वर्ष २०१५ में लघु उद्योग की ५ इकाइयों की स्थापना अनुसूचित जनजाति के द्वारा कुल २८.६३ लाख रूपये की राशि का विनियोग किया गया तथा ३४ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा शत्–प्रतिशत ऋण की सुविधा केवल जनजाति परिवार को उपलब्ध कराई जाती है। प्रति व्यक्ति १ लाख रूपये का ऋण तथा १०,००० रूपये के अनुदान भी दिया जाता है। निगम की कार्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण जनजाति की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन तथा कौशल विकास के लिए तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार वर्ष २०१४–१५ में छत्तीसगढ़ राज्य में ३९४७ परिवारों को आय सृजनकारी योजनाओं में लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

बस्तर जिले में एक भी परिवार को इस योजना में शामिल नहीं किया गया।

महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए राज्य महिला कोष से तीन प्रतिशत की दर से स्वसहायता समूह को ऋण की पात्रता है। सर्वेक्षित चारों विकासखंडों की २०० महिलाएँ किसी भी समूह की सदस्य नहीं है।

सर्वेक्षित विकासखंडों में वर्ष २०१६–१७ के लिए बस्तर तथा बकावंड की ५००–५०० महिला स्व सहायता समूहों को ६.६ करोड़ रूपये, दरभा विकासखंड के लिए ३०० महिला स्व सहायता समूहों के लिए ३.६ करोड़ रूपये तथा बास्तानार विकासखंड के २५० महिला स्व सहायता समूहों के लिए २.५० करोड़ रूपये के सूक्ष्म ऋण के वितरण का लक्ष्य था।

राज्य के आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार "विशेष केंद्रीय सहायता" (Special Central Assistance) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राशि जारी करती है। इस मद में वर्ष २०१३–१४ के लिए ९४ करोड़ ७८ लाख रूपये स्वीकृत किये गये थे।

संविधान के अनुच्छेद २७५(१) के अंतर्गत केंद्र सरकार अलग से आर्थिक अनुदान जनजाति बहुल राज्यों को उपलब्ध कराती है। इस मद में वर्ष २०१४–१५ के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को १०७७८.०० लाख रूपये का अनुदान जारी किया था।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा आयजनित कार्यो के लिए मनरेगा, नाबार्ड, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार की अनेक योजनाओं के बावजूद भी आदिवासी परिवारों की महिलाएं, बच्चे, किशोरी, कृषक तथा संग्रहित वनोपज पर जीवन व्यतीत करने वाले राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के ५२.६ प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के ३५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। बस्तर जिले में इनकी संख्या ५८.९ प्रतिशत है।

राज्य में वनोपज से ४,४७,६३,०४०.०० रूपये, खनिज से प्राप्त रायल्टी १,८८,६९,१६४ रूपये, आबकारी क्षेत्र से ४,७७,८७,५६४ रूपये बस्तर जिले में संग्रह किया जाता है।

जिले में स्त्री साक्षरता दर (२०११) ४३.४९ प्रतिशत से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के अभाव में रोजगार, उद्यम की स्थापना तथा केन्द्र/राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में जनजाति समुदाय असमर्थ है।

जनजातियों के पिछड़ेपन के संकेतक (Indicators of ST Backwardness)

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्तर पर १८ जनजाति बहुल (छत्तीसगढ़ सहित) राज्यों में जनजातियों के विकास कार्यो की समीक्षा में इन वर्गो के व्यक्तियों के पिछड़ेपन के संकेतक में गरीबी के स्तर पर जानकारी प्रकाशित करता है।

योजना आयोग वर्षो से गरीबी के अनुपातों का आंकलन करता है जिसके लिए परिवार उपभोक्ता व्यय पर बड़े प्रतिदर्श नमूने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Organization – NSSO) द्वारा संग्रहित किये गये हैं।

सामाजिक समूहों में गरीबी के अनुपात का अनुमान संबंधित सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के

वितरण की प्रतिशतता से किया जाता है। जिसे एन. एस.एस.ओ. के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के बढ़े प्रतिदर्श सर्वेक्षण तथा संपूर्ण जनसंख्या के लिए गरीबी रेखा से प्राप्त किया जाता है।

योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष २०११—१२ में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या (राष्ट्रीय स्तर पर) ग्रामीण क्षेत्रों में ४५.३ प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में २४.१ प्रतिशत थी।

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के जनजाति लोगों की गरीबी रेखा के नीचे वर्ष २००९—१० में ६६.८ प्रतिशत थी, वर्ष २०११—१२ में ५२.६ प्रतिशत रिकार्ड की गई।

सर्वेक्षित बस्तर जिले के विकास के संकेतक सारणी—२ में प्रस्तुत किये गये हैं—

सारणी—२

बस्तर जिला विकास के संकेतक — २०१५

क्र.	विकास के संकेतक	बस्तर जिला
1	जनसंख्या का घनत्व — 2011	140
2	लिंगानुपात	1023
3	खेतिहर मजदूर सर्वेक्षित जनपद पंचायतों में	28620 पुरूष 60731 स्त्री
4	सीमांत कृषक 1.6 हे. से कम	43338
5	लघु कृषक 1 हे. से अधिक	25047
6	गैर आर्थिक किसान	68385
7	कुल ट्रेक्टर्स	1571
8	लकडी के हल	89110
9	वनोपज का मूल्य रूपये में	46,64,14,098
10	उद्योग केन्द्र के माध्यम से रोजगार	190 (2014-15)
11	खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार	177 (2014-15)
12	जीवित रोजगार पंजीयन में दर्ज संख्या	41813
13	शिक्षित बेरोजगारी भत्ता एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त कुल आवेदक — अनुसूचित जनजाति	35
14	साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति स्त्री	31.74 प्रतिशत
15	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	41
16	उप स्वास्थ्य केन्द्र	243
17	ऐलोपैथिक चिकित्सालय में उपलब्ध शैय्यायें	246
18	ऐलोपैथिक राजपत्रित अधिकारी	32
19	स्वास्थ्य कर्मचारी	67
20	नर्स	67
21	कंपाउंडर	33
22	समस्या मूलक पेयजल ग्राम	603
23	नलटेप वाटर सुविधा प्राप्त ग्राम	139
24	ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकाने	335
25	राशनकार्डधारी महिलायें	1,91,547

स्त्रोत— बस्तर जिला, सांख्यिकीय. २०१५, आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्यालय, छ.ग. शासन वर्ष २०१५

वर्ष २०१४—१५ की वार्षिक रिपोर्ट में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति तथा विफलता को इस प्रकार रेखांकित किया गया है—

“जनजातीय लोगों के लाभ के लिए राज्य योजना के तहत आदिवासी उपयोजना निधियों के प्रचालन में आरंभ की खामियां आज भी जनजातियों के बीच अल्प मानव विकास सूचकांक के लिए एक समस्या रही है। पिछले तीन वर्षो के दौरान (राष्ट्रीय स्तर पर) आदिवासी उपयोजना के तहत निधियों की उपलब्धता को देखते हुए यह पता चलता है कि औसतन देश की जनजातीय जनसंख्या के विकास के लिए प्रति वर्ष निधियों की प्रति जनजाति व्यक्ति उपलब्धता ८००० (आठ हजार) रूपये है।

स्थल सर्वेक्षण के अंतिम परिणामों में उपकल्पनाओं का परीक्षण सही ज्ञात होता है।

और अंत में संवैधानिक व्यवस्था में राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य से वर्ष २०१२—१३ तथा २०१३—१४ दो वर्षो की रिपोर्ट प्रतीक्षित बताया गया है।

संदर्भ सूची

१. भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नयी दिल्ली, वार्षिक रिपोर्ट. २००२—२००३

२. Report of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, March, 1993, New Delhi.

३. बस्तर आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जगदलपुर, १९९२—९३ वार्षिक रिपोर्ट

४. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, बस्तर जिला, वार्षिक रिपोर्ट २०१६—१७

५. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली २०१५ (भारत सरकार)

❑❑❑

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

A REFEREED JOURNAL OF

Explore Innovate Educate

Shri Param Hans Education & Research Foundation Trust

www.IRJMSH.com
www.SPHERT.org

Published by iSaRa

"छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की चुनौतियाँ ?"

डॉ. सुबोध कुमार द्विवेदी
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य
श्री शंकराचार्य महाविद्यालय
जुनवानी, भिलाई (छ.ग.)

भूमिका

विगत दो दशकों में विकास के पैमाने पर सशक्तिकरण (Empowerment) के संबंध में विविध कार्यों को आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संदर्भ में जोड़कर व्याख्या की जा रही है। विशेष कर "महिला सशक्तिकरण" की अवधारणा महिलाओं के समग्र विकास की धुरी माना गया है।

वूमेन एम्पावरमेंट इन साउथ एशिया : कन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस के हिन्दी अनुवाद "शक्ति के पथ पर (1965 तथा 1968) में महिला सशक्तिकरण के लिए दूरगामी एवं ठोस नीतियों तथा सशक्त बनाने के लिए कुछ मानक (Index) दिये हैं –

1. एक चुने हुए भौगोलिक–राजनीतिक क्षेत्र – चाहे वे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र की सबसे गरीब और दलित महिला का होना।
2. जेंडर सचेत तथा राजनीतिक चेतना वाले कार्यकर्ता/परिवर्तन एजेंटों को महिलाओं को संगठित करने और उनकी चेतना तथा मानवीय मूल्यों का स्तर बढ़ाने के लिये उन्हें प्रशिक्षित करना।
3. ऐसी महिलाओं के लिए ऐसा समय और जगह तैयार करना जहां वे एक सम्मानजन स्त्री/महिला के रूप में जुड़ सके न कि विकास का कल्याण कार्यक्रम का फायदा उठाने वाले हितग्राहियों के रूप में। इस मंच पर वे विकसित होकर महिलाओं के एक झुंड से मजबूत समूह का रूप ले सके।
4. महिलाओं को उनकी बढ़ी हुई चेतना (New Information) आलोचनात्मक विश्लेषण और जानकारी के आधार पर फैसला लेकर कार्यवाही के लिए मुद्दों के चुनाव और उनका क्रम तय करने के योग्य बनाना।
5. स्त्रियों का दर्जा निर्धारित करने वाले ढांचों में बदलाव लाने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर महिला संगठनों के निर्माण में सहायता करना तथा

6. ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित, अशिक्षित तथा आर्थिक–सामाजिक दृष्टिकोण से वंचित महिलाओं को एक बेहतर जीवन के लिए समाज तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना सशक्तिकरण का मूलमंत्र घोषित किया गया।

अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण और मुख्यधारा में लाना

देश में अनुसूचित जनजातियां ऐतिहासिक रूप से भौतिक अथवा भौगोलिक रूप से बहिष्कृत रही है। लगभग 700 ऐसी जनजातीय समुदायों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

देश में 705 जनजातियां है जिन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। जनगणना–2011 के अनुसार जनजातीय जनसंख्या 10.43 करोड़ (8.61 प्रतिशत) है। इनमें से 91.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं।

उल्लेखनीय है कि देश की अनुसूचित जनजातियों की दयहीन साक्षरता दर में धीमी गति से वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्ष 1961 में 8.53 प्रतिशत साक्षरता दर थी, 2011 में 59 फीसदी हो गई।

जनजातियों में विशेषकर स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य की दशा अत्यंत शोचनीय है। स्वास्थ्य और पोषाहार के संबंध में शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर और मातृ मृत्युदर जैसे संकेतक अन्य आबादी के मुकाबले काफी ऊंची है।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण (National Health Family Welfare) के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि मुश्किल से 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के बच्चों का जन्म स्वास्थ्य केन्द्र में होता है जबकि अन्य समुदायों के बीच यह प्रतिशत 51 है।

लगभग 81.56 प्रतिशत जनजातीय श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रों (Agricultural Sector) में कार्यरत हैं। अनुसूचित जनजातियों के बीच ग्रामीण गरीबी का स्तर अखिल भारतीय स्तर पर 47.4 प्रतिशत है (2009–10) जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच औसत से काफी अधिक है।

झारखंड की राजधानी रांची में 18–20 फरवरी, 2012 में एक राष्ट्रीय सेमीनार "ट्रायबल सोसायटी ऑफ इंडिया" विषय पर आयोजित किया गया था।

उक्त राष्ट्रीय सेमीनार में जिन विषयों पर चर्चा हुई उसमें निम्नलिखित प्रमुख है–

1. जनजाति शिक्षा और संस्कृति
2. जनजाति गरीबी और पिछड़ापन
3. कुपोषण और जनजातियों में स्वास्थ्य की समस्यायें

4. जनजाति समुदायों के वनभूमि से विस्थापन की समस्यायें
5. जनजातीय क्षेत्र में पर्यावरण की समस्या
6. लिंग विभेद तथा जनजाति महिलाओं की विकास की समस्यायें तथा
7. जनजाति तथा मानव अधिकार

सामाजिक विकास एवं शोध संस्थान, रांची द्वारा 1–3 मार्च, 2013 में राष्ट्रीय सेमीनार "महिला सशक्तिकरण" विषय पर संपन्न किया गया। राष्ट्रीय सेमीनार में विशेषकर आर्थिक सशक्तिकरण विषयांतर्गत गरीबी, माइक्रो क्रेडिट, भूमंडलीकरण, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, निर्णय लेने की क्षमता, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी पर शोध सामग्री का प्रकाशन किया गया।

उक्त अध्ययन में बताया गया है कि सर्वप्रथम 1975 में मेक्सिकों में "महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित किया गया। उक्त सम्मेलन में महिलाओं के आर्थिक विकास के संदर्भ में रेखांकित किया गया–

> "................ attention was drawn to the fact ..... that development policies has ignored women's economic roles and that women were effectively being left out with developments process."

देश की जारी पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि वर्ष 2012–13 में कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति के आधार पर 2013–14 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए 1762.00 करोड़ रूपये के बढ़े हुए परिव्यय की व्यवस्था की गई। यद्यपि विशेष रूप से विकास के माध्यम से उनके सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया तथापि अनुसूचित जनजातियों और आम आदमी के बीच गरीबी के अंतर को कम करने और पाटने के जरिये आर्थिक सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता प्रदान की गई।

अध्ययन के उद्देश्य

शोध पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मध्य क्षेत्र, भोपाल द्वारा स्वीकृत लघु शोध प्रबंध "छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों की जनजातीय महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा" विषय पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य इस प्रकार है–

(i) केन्द्र में नयी सरकार के गठन के पश्चात् जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की नयी योजना का मूल्यांकन।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा "सब का साथ – सब का विकास" पर जनजातियों के सशक्तिकरण की दिशा में तैयार किये गये नये आर्थिक कार्यों का अध्ययन करना।

शोध तकनीक (Research Methodology)

1. अध्ययन क्षेत्र

बस्तर जिले में (1) बस्तर, (2) बकावंड, (3) बास्तानार तथा (4) दरभा विकासखंड का अध्ययन किया गया है। प्रत्येक विकासंखड से दो–दो ग्राम पंचायतों का चुनाव कर कुल आठ ग्राम पंचायतों की 200 जनजातीय महिलाओं का प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर सशक्तिकरण की दिशा का मूल्यांकन किया गया।

2. उपकल्पना का सत्यापन

शोध पत्र में निम्नलिखित उपकल्पनाओं का प्राथमिक तथा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर परीक्षण किया गया–

(i) शिक्षा के न्यूनतम स्तर के कारण जनजाति महिलाओं को जनकल्याण की योजनाओं की जानकारी नहीं है।

(ii) व्यापक गरीबी और सामाजिक शोषण का स्तर ऊंचा है।

(iii) बस्तर विका प्राधिकरण के कार्यों से रोजगार के अवसर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाई।

3. अध्ययन की उपादेयता (Importance of Study)

सरकार ने मई, 2009 में शैक्षणिक अवसरों को समान रूप से अवसर तथा धन प्रदान करने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु कुंजी कार्यक्रम घोषित किया। शासन ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला शिक्षा पर जोर दिया। सरकार ने महिला शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है जिसमें सभी समाजिक विकास कार्यक्रम की धारणीय विकास हेतु तेज गति निर्धारित करना है।

कुछ वर्षों में महिला साक्षरता के लिए बुनियादी और बड़े स्तर पर नये अवसरों को पैदा करना शामिल है।

सबसे प्रमुख भागीदारी पंचयायती राज संस्थान, 73वें संविधान संशोधन के बाद स्व–सहायता समूह (SHGS) द्वारा स्वयं रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), संयुक्त वन प्रबंधन इत्यादि से जनजाति महिलाओं के लिए नये रास्ते खुले हैं।

1. नयी सरकार के गठन के पश्चात जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की

नयी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कार्यरत विवेकानंद संस्थान तथा सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण समिति मां शारदा विद्या मंदिर ओरछा (अबूझमाड़–बस्तर) नारायणपुर जिला बस्तर के लिए वर्ष 2012–13 में 37,23,218 रूपये तथा वर्ष 2013–14 में 44,07,038 रूपये का अनुदान दिया गया।

2. राज्य में महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केन्द्र शासन की "सबला योजना" का संचालन किया जा रहा है।

11–14 आयु वर्ग की शाला त्यागी (School dropouts) एवं 14–18 आयु वर्ग की सभी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में बस्तर जिला भी शामिल है।

3. महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य में वर्ष 2003 से महिला स्व सहायता समूहों के लिए "छत्तीसगढ़ महिला कोष" के माध्यम से ऋण योजना शुरू की गई।

वर्तमान में वर्ष 2013–14 से उन्हें सिर्फ 3.0 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर पहली बार 50,000 रूपये और दूसरी बार में दो लाख रूपये तक ऋण सुविधा देने का प्रावधान किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत वर्ष 2003–04 से 2016–17 तक (अक्टूबर 2016 तक) 30,671 महिला समूहों को 60 करोड़ 90 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया।

अध्ययन की सीमा

शोधकार्य योजना में अध्ययन बस्तर संभाग के केवल चार विकासखंडों की सीमा शामिल है। जबकि बस्तर संभाग में कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा सुकमा सात जिले आते हैं।

अध्ययन का परिणाम

बस्तर जिले का विभाजन वर्ष 1999 में हुआ। जिले में जगदलपुर, लोहडीगुड़ा, बास्तानार, बस्तर, बकावंड, तोकापाल तथा दरभा सात विकासखंड है।

सर्वेक्षित चार विकासखंडो बस्तानार, बस्तर, बकावंड तथा दरभा विकासखंड की कुल जनसंख्या (2011) 4,40,591 है जिसमें महिला जनसंख्या 2,22,978 अर्थात 51.11 प्रतिशत है। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है।

जिले की प्रमुख जनजातियों में गोंड़, मारिया, पुरिया, ध्रुव, तथा हलबा निवास करती है।

जिले में 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा वनो से वनोपज में महुआ, टोरा, इमली, तेंदूपत्ता, गोंद तथा चिरोंजी का संग्रहण करता है।

साक्षरता / शिक्षा

सर्वेक्षित 200 जनजाति महिलाओं में 87.01 प्रतिशत महिलायें निरक्षर पाई गई। लगभग 8.04 प्रतिशत प्रारंभिक शिक्षा अर्थात प्राथमिक तक तथा शेष 4.95 प्रतिशत मिडिल स्तर तक साक्षर पाये गये।

बस्तर जिले में पारिवारिक उद्योग कर्मी जनसंख्या (2011) में 4950 थी जो कुल जनसंख्या का 0.59 प्रतिशत पाया गया।

कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं की संख्या शून्य पाई गई।

वर्ष 2014–15 में छत्तीसगढ़ राज्य में कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण योजना के मद में जारी कुल राशि 39 लाख 25,448 रूपये थी। इस योजना का लाभ सर्वेक्षित चारों विकासखंड की जनजाति परिवार की लड़कियों में एक भी लड़की लाभान्वित की श्रेणी में दर्ज नहीं पाई गई।

दक्षिण क्षेत्र बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर दिनांक 20 मई, 2004 के आदेश क्रमांक 7–5 / 6 की एक अधिसूचना द्वारा बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। सारणी 1 में 3 सर्वेक्षित विकासखंडों में किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी – 1

सर्वेक्षित विकासखंडों में बस्तर विकास प्राधिकरण की योजना

2004–05 – 2007–08 (राशि लाख में)

क्र.	सर्वेक्षित विकासखंड	ग्राम पंचायत का नाम	निर्माण कार्य	स्वीकृत राशि
वर्ष 2004–05				
1.	दरभा	दरभा	पुलिया निर्माण	2.40
		कुकरी पानी	पुलिया निर्माण	2.40
		कूकानार	हेंडपंप	0.48
2.	बस्तर	कुरूसपाल	सामुदायिक भवन	1.55
		चपका	सामुदायिक भवन	1.55
		रत्तेंगा	उप स्वास्थ्य केन्द्र	1.25
3.	बकावंड	बकावंड	हेंडपंप	0.48
		मोहलाई	सामुदायिक भवन	1.20
				11.31
वर्ष 2005–06				
1.	दरभा	गोंचा पारा	पुलिया निर्माण	3.50
		कोडलूर	पुलिया निर्माण	3.50
2.	बस्तर	मावालीगुड़ा	विद्युत कनेक्शन	0.69
		मावलापाल	उप स्वास्थ्य केन्द्र	3.00
3.	बकावंड	बजावंड	सामुदायिक भवन	2.00
		बेलपुरी	कल्याण आश्रम	0.84
4.	बास्तानार	मूतनपाल	पुलिया निर्माण	4.26
		बड़े किलेपाल	पुलिया निर्माण	3.35
		लालागुड़ा	पुलिया निर्माण	2.22
		तिरसुम	पुलिया निर्माण	2.22
		जामगांव	पुलिया निर्माण	2.22
		काचानार	पुलिया निर्माण	3.35
		कुम्हारसावरा	पुलिया निर्माण	2.22
		काचानार	सामुदायिक भवन	2.25
		वाहनपुर	सामुदायिक भवन	2.25
		लालागुड़ा	सामुदायिक भवन	1.50
		पालनार	विद्युत विस्तार	2.25

क्र.	सर्वेक्षित विकासखंड	ग्राम पंचायत का नाम	निर्माण कार्य	स्वीकृत राशि
				41.62
		वर्ष 2006–07		
1.	दरभा	छिंदबहार	पुलिया निर्माण	4.81
		दरभा	विद्युतीकरण	11.67
2.	बस्तर	मावलापाल	उप स्वास्थ्य केन्द्र	3.00
3.	बकावंड	सांवरा	उप स्वास्थ्य केन्द्र	3.00
4.	बास्तानार	कोड़ेनार	शौचालय निर्माण	3.00
		कोड़ेनार	टावर निर्माण	5.00
		लालागुड़ा	पुलिया निर्माण	4.80
		कोड़ेनार	बैरक निर्माण	20.00
				55.28
		वर्ष 2007–08		
1.	दरभा	ढोढरेपाल	दुकानो का निर्माण	10.92
2.	बकावंड	बारवा	विद्युतीकरण	1.22
3.	बस्तर	परचनपाल	विद्युत कार्य	4.90
4.	बास्तानार	वागमुडी	सामुदायिक भवन	2.50
		पालनार	सामुदायिक भवन	2.50
		लालागुड़ा	पुलिया निर्माण	2.70
		मूतनपाल	विद्युतीकरण	0.29
				25.03

स्त्रोत – चारों सर्वेक्षित विकासखंडों से संकलित

उक्त प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य बस्तर क्षेत्र की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण में आवश्यक कदम उठाना, योजनाओं का परीक्षण तथा अनुश्रवण करने के साथ–साथ बस्तर क्षेत्र की जनजातियों के समग्र व त्वरित विकास हेतु ठोस कदम उठाना।

सारणी – 1 के अध्ययन से पता चलता है कि बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2004–05 में कुल 11.31 लाख रूपये के कुल आठ कार्य संपन्न किये गये। वर्ष 2005–06 में 41.62 लाख रूपये, 2006–07 में 25.28 लाख रूपये तथा वर्ष 2007–08 में 28.03 लाख रूपये के कार्य पूरे किये। बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृत कार्यों की सूचना के अनुसार कुल 99 कार्यों के लिए 463.62 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई थी। 30 जून, 2012 की स्थिति में कुल 16.07 प्रतिशत (74.42 लाख रूपये) व्यय किये गये थे।

वर्ष 2011–12 में सर्वेक्षित दरभा विकासखंड के लिए 6, बस्तर के लिए 7, बकावंड के लिए 8 तथा बास्तानार विकासखंड के लिए केवल 2 कार्यों की स्वीकृति दी गई थी।

रोजगार की स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी, 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है जो आज भी जारी है।

योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार में वयस्क सदस्यों को (स्त्री/पुरूष) अकुशल शारीरिक कार्य की मांग किये जाने पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार दिये जाने की गारंटी दी गई है। परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर 100 दिवस के रोजगार की गणना की जाती है।

अध्ययनरत बस्तर जिलें में उक्त रोजगार गारंटी योजना की उपलब्धियां इस प्रकार पाई गई–

सारणी–2

बस्तर जिले में मनरेगा में रोजगार की उपलब्धियां

2006–07 – 2013–14

क्र.	वर्ष	कुल रोजगार प्रदाय	100 दिनो के रोजगार की उपलब्धियां	प्रतिशत
1.	2006-07	95475	3209	3.36
2.	2007-08	141203	4103	2.90
3.	2008-09	175850	4261	2.42
4.	2009-10	99561	1302	1.30
5.	2010-11	81776	1595	1.95
6.	2011-12	143879	5627	3.91
7.	2012-13	62893	5234	8.32
8.	2013-14	38422	1079	2.80

स्त्रोत– पंचायत एवं ग्रामीण विकास, छत्तीसगढ़ शासन की प्रशासकीय रिपोर्ट से संकलित

सारणी के मूल्यांकन से पता चलता है कि शोध जिले बस्तर में न्यूनतम 1.30 प्रतिशत परिवारों को वर्ष 2009–10 में तथा अधिकतम 8.32 प्रतिशत परिवारों को वर्ष 2012–13 में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया जो रोजगार उपलब्धि की अत्यंत कमजोर एवं निराशाजनक प्रगति का परिचायक है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा के अंतर्गत हितग्राहियों को 100 दिनों से अधिक 150 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य है। इसके अलावा राज्य वर्ष 2011–12 में 93000 कार्य पूर्ण कर मनरेगा योजना में 945 करोड़ 38 लाख रूपये मजदूरी के रूप में वितरित किये गये।

निष्कर्ष

अध्ययन में पाया गया कि राज्य में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कार्ययोजना तथा नयी–नयी नीतियों का वांछित लाभ जमीनी स्तर पर ग्रामीण जनजाति की महिलाओं को नहीं मिल रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वावलंबन योजना के बारे में जनजाति महिलाओं को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। इस योजना में बस्तर जिले के चारो विकासखंड में एक भी महिला हितग्राही को 1,00,000 रूपये का रोजगारमूलक कार्य हेतु ऋण उपलब्ध नहीं मिला।

मनरेगा में भी बस्तर जिले में 150 दिनों का रोजगार नहीं मिल पाया।

राज्य के 64,22,022 परिवारों की मासिक आय कम होने के कारण हर महीने 1 और 2 रूपये की दर पर खद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

आमदनी का न्यूनतम स्तर होने के कारण 26 लाख बच्चे, गर्भवती माताएं तथा शिशुवती माताओं को आंगनबाड़ी केन्द्र से पोषण आहार दिया जाता है।

जनजाति परिवारों की न्यूनतम आय के कारण 7,57,931 परिवार की छात्राओं को शाला जाने हेतु सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत एक–एक नयी सायकल का वितरण किया गया।

राज्य के जनजाति जिलों, कोरिया, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, तथा सुकमा जिलों के अलावा अन्य जनजाति विकासखंडों के कुल 12,35,941 ग्रामीण महिलाओं को एक जोड़ी चप्पल भी उपलब्ध कराई गई।

छत्तीसगढ़ राज्य की 12 लाख 10,249 जनजाति महिलाएं इतनी गरीब है कि शासन द्वारा 32,95,50,802 रूपये मूल्य की एक–एक साड़ी का वितरण किया जाना इस ओर इंगित करता है कि आदिवासी महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण के एकदम नीचे पायदान पर खड़ी हैं।

राज्य में 2000 की गणना के अनुसार बस्तर जिले में 1,49,272 परिवार बी.पी.एल. की श्रेणी में शामिल थे जो जिले के कुल ग्रामीण बी.पी.एल परिवारों के 2,56,095 परिवारो का 58. 28 प्रतिशत है।

शोध अध्ययन में उपकल्पनाओं का परीक्षण किया गया जो आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सही पाये।

संदर्भ ग्रंथ (References)

1. शर्मा, प्रेमनारायण, झा, संजीव कुमार तथा अन्य. "महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेंटर, लखनऊ
2. भारत 2015, प्रकाशन विभाग. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
3. Social Development Report 2010 Council for Social Development, Oxford Univeristy Press, New Delhi
4. Editor, Dr. Umesh Kumar Verma, Institute of Social Develpment & Research, Gari Hatwar, Ranchi, Jharkhand. 2012
5. Editor. Shashikala Singh, "Women Empowerment Institute for Social Developments and Research", Ranchi, Jharkhand. 2013
6. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट 2014–15, नई दिल्ली
7. विकास और विश्वास का सफर, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, फरवरी 2015

Explore Innovate Educate

Shri Param Hans Education & Research Foundation Trust

www.SPHERT.org

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE AND INNOVATION

WWW.IRJMSI.COM